राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
Rajasthan State Pollution Control Board

क्षेत्रीय कार्यालय
स्पेशल प्लाट नं. 2, मरूधर इण्डस्ट्रीयल एरिया, प्रथम फेस, बासनी, जोधपुर
फोनः 2723225

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ''मैसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., कमरा नं. 130, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर ने गांव-रामगढ़, जिला-जैसलमेर (राज.) में प्रस्तावित 160 मेगावॉट (110 MW + 50 MW ST)(रामगढ गैस थर्मल पॉवर प्लान्ट का विस्तार-तृतीय चरण) का गैस आधारित थर्मल पॉवर प्लान्ट हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है।
2. और चूँकि ''मैसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., कमरा नं. 130, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर ने गांव-रामगढ़, जिला-जैसलमेर (राज.) में प्रस्तावित 160 मेगावॉट का गैस आधारित थर्मल पॉवर प्लान्ट हेतु मण्डल को परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन किया है।
3. और चूँकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2008 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
4. उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है-
   (अ) जिला कलेक्टर, जैसलमेर ।
   (ब) क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, स्पेशल प्लाट नं. 2, मरूधर औद्योगिक क्षेत्र, फेज-प्रथम, बासनी, जोधपुर।
   (स) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, मुख्यालय-4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   (द) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   (य) क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, लखनऊ।
   (र) जिला उद्योग केन्द्र, जैसलमेर।
   (ल) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जैसलमेर।
   (व) अति. जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर, जिला-जैसलमेर।

अतः समस्त संबंधित को माननीय जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर के पत्रांक क्रमांक न्यायिक/2009/11698 दिनांक 18.12.09 को दी गई स्वीकृति के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि **वे उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित लोक सुनवाई हेतु दिनांक 09.02.2010 को दोपहर 12.00 बजे इरेक्टर हॉस्टल, गैस थर्मल पावर प्लान्ट, रामगढ़, गांव-रामगढ़, जिला-जैसलमेर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, स्पेशल प्लाट-2, मरूधर औद्योगिक क्षेत्र, फेज-प्रथम, बासनी, जोधपुर में दिये जा सकते हैं।**

No. RPCB/Ro-Jodh/PH/JU/RVUNL/Jai/12608
Date 18 December, 2009
RVUN / PR - 1488 / 2009

(बी. आर. पंवार)
क्षेत्रीय अधिकारी